

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2019/चैत्र 22, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 14
No. 70]	DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2019/CHAITRA 22, 1941	[N.C.T.D. No. 14

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अप्रैल, 2019

सं. फा. 18/50/2013/विविध/आरआर/डी (एलएमवी)/सा.प्र.वि./प्रशा./446.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार के दिनांक 2 अगस्त, 1994 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जाने वाली या लोप किये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक, श्रेणी-1” के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को “स्टाफ कार चालक, श्रेणी-1” भर्ती नियमावली, 2018 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जो अपने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
 वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव:-** इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक श्रेणी-I
2.	पदों की संख्या	:	14*(2018) अर्थात् सामान्य प्रशासन विभाग में चालक के स्वीकृत संख्या बल के 35% पद। *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, रुपये 29,200-92,300 /- (पीबी-1, रुपये 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन रुपये 2800 पूर्व संशोधित वेतनमान)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं

10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो श्रेणी जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति:— वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 में रुपये 25,500—81,100/-(पीबी-1 रुपये 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन रुपये 2400 पूर्व -संशोधित पैमाने पर) में स्टाफ कार चालक श्रेणी II) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 साल की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक श्रेणी II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) में 15 साल की संयुक्त सेवा की हो और सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग “ग” पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) प्रधान सचिव/सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— अध्यक्ष (ii) विशेष सचिव (लो0नि0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य (iii) अपर सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संमुदाय का अधिकारी जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप सचिव के पद से कम न हो— सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

प्रमिला मित्रा, उप-सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th April, 2019

No. 18/50/2013/Misc./RR/D(LMV)/GAD/Admn./446.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification dated the 2nd August, 1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of “**Staff Car Driver, Grade-I**” in the General Administration Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called “Staff Car Driver, Grade-I” Recruitment Rules, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

- 2. Number of Posts, classification and Level in the Pay Matrix.-** The number of post, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached with these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.-** No person, –
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or Non-Selection.
1	2	3	4	5
Staff Car Driver Grade-I.	14*(2018) i.e. 35% posts of sanctioned strength in General Administration Department. *subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in Pay matrix, Rs. 29,200-92,300/- (PB-1 Rs. 5200-20200 plus GP Rs 2800 in pre-revised scale)	Non Selection.

Age limit for direct recruit.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
9	10	11
Not applicable.	By promotion.	Promotion from Staff Car Driver

		Grade – II in Level 4 of Pay matrix, Rs 25500-81100/- (PB-1 Rs. 5200-20200 plus GP Rs. 2400 in pre-revised scale) with six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years as Staff Car Driver Grade – II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:- (i) Principal Secretary/Secretary(GAD), Government of National Capital Territory of Delhi. -Chairman (ii) Special Secretary (PWD) Government of National Capital Territory of Delhi. - Member (iii) Additional Secretary (Home) Government of National Capital Territory of Delhi. - Member (iv) An Officer belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe Community not below the rank of Deputy Secretary in the Government of National Capital Territory of Delhi. - Member	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PROMILA MITRA, Dy. Secy.